ग्राम पंचायत दिघाई, विकास खण्ड व तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2014 से 31-03-2017

भाग-एक

1 **प्रस्तावना{क}:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत दिघाई , विकास खण्ड सलूणी , जिला चम्बा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधानव सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति कमला ठाकुर	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्रीमति महेशो देवी	23-1-16 से लगातार

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री रतन चन्द	07/2007 से 16-05-17

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {₹लाखों में}
1	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में भारी अन्तर	0.27
2	5	निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखना	----
3	7	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.16
4	8	प्राप्त अनुदानों से अधिक व्यय करना	0.49
5	9	अनुदानों का अवरोधन	5.93
6	10	औपचारिकता को पूर्ण किए बिना खरीद	3.49
7	11	क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि न करना	4.65
8	13	बिल/वाउचर प्रस्तुत न करना	1.27

भाग– दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत दिघाई, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा के अवधि 01/4/2014 से 31/03/2017 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण/जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही , अनुभाग अधिकारी व श्री प्रीतम चन्द, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 08-01-2018 से 10 -01-2018 तक के दौरान पंचायत कार्यालय दिघाई में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 09/14, 09/15 व 03/17 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 06/14, 6/15 व 02/17 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा। अंकेक्षण का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत दिघाई, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5400 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:10 दिनांक 10-01-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत दिघाई से अनुरोध किया गया।

4 वितीय स्थिति:- ग्राम पंचायत **दिघाई** द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{क} स्व स्त्रोत :- ग्राम पंचायत दिघाई के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक स्व: स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	125328	30576	155904	52418	103486
2015-16	103486	10709	114195	16623	97572
2016-17	97572	4990	102562	39870	62692

{ख} अनुदान :-ग्राम पंचायत दिघाई के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण सलग्न परिशिष्ट -1 में दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	669123	2100101	2769224	2032612	736612
2015-16	736612	1344819	2081431	1844804	236627
2016-17	236627	3087296	3323923	2730987	592936

31-3-17 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता सं	राशि
1.	HPSCB salooni	18910103725	671416
2.	HPSCB salooni	18910107659	10736
3.		**Total**	**₹682152**

दिनांक 31-3-17 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख) :- ₹655628

दिनांक 31-3-17 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹682152

अन्तर **₹26524**

4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के परिणामस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹0.27 लाख का अन्तर :-

ग्राम पंचायत दिघाई की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था। जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 7 (3) एवं 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था, परिणामस्वरूप दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में 26524 का अन्तर था, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा 4 में दिया गया है, जिसका अतिशीघ्र मिलान किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार पंचायत की रोकड़ वही का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5 निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखना :-

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था जबकि सचिव द्वारा केवल एक हजार तक की राशि हस्तगत रखी जा सकती है, जोकि {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

अवधि	राशि
01-02-17 से 05-02-17	10696-00
16-02-17 से 28-02-17	26271-00
01-03-17 से 06-03-17	20271-00
07-03-17 से 15-03-17	20091-00

6 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract) को न तैयार करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करना वांछित था जिसमे प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ नहीं किया जा सका। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाये।

7 पंचायत राजस्व ₹0.16 लाख वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31-3-1 7 तक गृहकर के रूप में ₹16120 वसूली हेतु शेष थी, जिसकी अतिशीघ्र वसूली की जाए।

गृहकर :-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	0	5160	5160	0	5160
2015-16	5160	5360	10520	0	10520
2016-17	10520	5600	16120	0	16120

8 प्राप्त अनुदानों से ₹0.49 लाख का अधिक व्यय:-

पंचायत सचिव दिघाई द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-17 को अनुदान IAY व CDPO, के शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से **₹48550 (30100+18450)** अधिक व्यय किए गए जो कि अनियमित व गम्भीर प्रकरण है। इस अनियमित व्यय को नियमित करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली जाए व उचित स्त्रोत से उक्त राशियों को वसूल कर

सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

9 अनुदान ₹ 5.93 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-17 तक अनुदान **₹592936** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹ 3.49 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹349300** के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव, ग्राम पंचायत दिघाई को अवगत करवाया गया। अत: स्टॉक /स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक /स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 क्रय की गई ₹4.65 लाख की निर्माण सामग्री का भण्डार रजिस्टरों में इन्द्राज न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखाकन किया जाना अपेक्षित था। परन्तु पंचायत के अवधि 1.4.14 से 31.3.2017 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3** पर दिए गए विवरणानुसार **₹464807** की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है , जोकि एक गम्भीर प्रकरण है। अतः अब नियमानुसार उक्त क्रय

सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के समय पर अवगत करें तथा भविष्य में नियमानुसार स्टॉक प्रविष्टियाँ की जानी सुनिश्चित की जाए ।

12 क्रय निर्माण सामग्री की मात्रा न दर्शाने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के बिल/वाउचर की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट -3** में दिए गए विवरण अनुसार **पत्थर** की **73 फरी(ढेर)** व **एक गाड़ी रेत** की खरीद पंचायत द्वारा की गई है परन्तु पत्थरों व रेत की मात्रा बिल में नहीं दर्शाई गई है जिसके अभाव में पत्थर व रेत की सही मात्रा की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर प्रकरण है अतः यह प्रकरण उच्च अधिकारीयों के ध्यान में आवश्यक जाँच हेतु लाया जाता है। अत: पत्थर व रेत की मात्रा के स्थान पर केवल फरी व गाड़ी दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 ₹1.27 लाख के बिल/वाउचर प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित बिल/वाउचर आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में व्यय की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी अत:इन व्यय बिलों को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹127420 की वसूली सम्बंधित से की जाए ।

वाउचर सं, माह	राशि	रोकड़ बही पृष्ट सं
23,26,38 माह 06/15	11950	10 (सामान्य निधि)
12/1 माह 06/15	15000	18(BRGF)
59,61,66,68,70,72,78 माह 02/17	100470	68,69 (मनरेगा)
जोड़	**₹127420**	

14 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। जिनका नियमानुसार रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख का नाम
1.	मोबाइल टावर रजिस्टर
2.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
5.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
6.	रसीद बुक रजिस्टर
7.	खाताबही

15 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 विविध अनियमितताएं :- ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही।

17 लघु-आपति विवरणिका:-लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है। यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है।

18 निष्कर्ष :-लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(7)28/2018 खण्ड–1–3450–3453 दिनांक 17.05.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत दिघाई, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881